(54)

(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निग0 1672–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–6–13 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर प्रकरण क्रमांक 14/2001–02/स्व. निग.

———

अब्दुल हफीज पुत्र अल्लादीन
निवासी बालापुरा तहसील श्योपुर
जिला श्योपुर म.प्र.

—— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर जिला श्योपुर

—— अनावेदक

———

श्री जी.पी. नायक, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री बी.एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/15 को पारित)

.....

यह निगरानी कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/2001–02/स्व. निग में पारित आदेश दिनांक 18–6–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य आवेदक के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बगवाज तहसील श्योपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमियां सन् 1983 में इकवाल मुहम्मद पुत्र मुहम्मद हुसैन आदि को भूदान यज्ञबोर्ड से पट्टे पर प्राप्त हुई थीं । पट्टाधारियों द्वारा वर्ष 1992 में भूमियों को विक्रय करने की अनुमति आवेदन म.प्र. भूदान यज्ञ बोर्ड को

प्रस्तुत किया जिस पर से म.प्र. भूदान यज्ञ बोर्ड ने 19.10.1992 को विकय की अनुमति प्रदान की । अनुमति प्राप्त होने के उपरांत भू–धारियों द्वारा दिनांक 6–1–93 को आवेदक को प्रश्नाधीन भूमियों का विकय किया गया । पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर तहसीलदार, श्योपुर ने वर्ष 1993 में आवेदक का नामांतरण राजस्व अभ्झिलेख में दर्ज किया किंतु खसरे में भूमि भूदान बोर्ड से प्राप्त होना पटवारी ने अपलेखन करके लिख दिया । आवेदक ने इस अपलेखन की दुरस्ती हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने प्र0क0 01/09–10/अ–5 दर्ज कर जांच एवं आवश्यक सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22–3–10 द्वारा भूदान बोर्ड शब्द खसरे से विलोपित करने के आदेश दिए ।

कालांतर में आयुक्त, चंबल संभाग को भूदान की जमीनों को बेचने आदि के संबंध शिकायत प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लिए जाने हेतु प्रतिवेदन दिनांक 20.8.10 को पेश किया जिस पर से कलेक्टर ने दिनांक 30.11.10 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को सूचना पत्र जारी कर तलब करने के आदेश दिए एवं आवश्यक कार्यवाही उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्ववत भूदान भूमिस्वामी दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । भू–धारियों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विकय मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड से विधिवत अनुमति लेकर आवेदक को किया गया था ।

यह तर्क दिया गया कि वर्तमान में म.प्र. भूदान बोर्ड भंग हो चुका है एवं भूदान यज्ञ बोर्ड के प्रचलित नियमों को संहिता में समाहित किया जा चुका है, इस कारण सक्षम स्वीकृति लेने के बाद आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र से कय की गई भूमि पर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा पुनः भूदान बोर्ड लिखवाया जाना न्यायसंगत नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि विवादित भूमियों पर पूर्व में इन्हीं आधारों पर कलेक्टर, श्योपुर ने स्वमेव निगरानी प्र0क0 14/2001–02 आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज

किया था जिसमें दिनांक 7–2–08 को आदेश पारित कर यह माना कि विवादित भूमि के विक्रय की अनुमति भूदान बोर्ड से प्राप्त होने के कारण निगरानी समाप्त की जाती है । उपरोक्त स्थिति में जब एक बार स्वमेव निगरानी में अंतिम आदेश दिनांक 7–2–08 को पारित हो गया और इस आदेश को किसी पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दिए जाने के अभाव में यह आदेश अंतिम रूप लेकर प्रॉड़–न्याय से वाधित है, किंतु कलेक्टर ने इसे अनदेखा किया है । इस कारण कलेक्टर का आलोच्य आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि पूर्व भूधारियों को भूदान यज्ञ बोर्ड से भूमि वर्ष 1989 में प्राप्त हुई थी भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 की धारा 33 में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लगातार 10 वर्ष तक भूदान धारक के रूप में भूमि धारण करने वाला व्यक्ति, उस कालावधि का अवसार होने पर, म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अीन भूमि–स्वामी के अधिकार अर्जित कर लेगा और बोर्ड की उक्त भूमि में हक तथा हित समाप्त हो जायेगा । इस विधिक स्थिति को अपर कलेक्टर ने अनदेखा किया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तकों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । इस प्रकरण में एक मात्र विचारणीय बिंदु यह है कि क्या भूदान बोर्ड के द्वारा दी गई भूमि विक्रय की अनुमति के उपरांत हुए क्रय–विक्रय के पश्चात भूमि भमिूस्वामी स्वत्व पर अंतरित हो जायेगी या भूदान शब्द पूर्ववत अभिलेखों में दर्ज रहेगा ? अभिलेख से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमियां भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा पट्टे पर दी गई थीं जिन्हें बाद में भूदान यज्ञ बोर्ड की अनुमति प्राप्त कर आवेदक को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा विक्रय किया गया है । विक्रय के पश्चात आवेदक का नामांतरण तहसील न्यायालय द्वारा किया किंतु अभिलेख में भूदान शब्द दर्ज रहने के कारण आवेदक द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अभिलेख दुरस्ती हेतु आवेदन दिया गया जिस पर

से अनुविभागीय अधिकारी ने जांच उपरांत भूदान शब्द अभिलेखों से विलोपित करने के आदेश दिए । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करते हुए अभिलेखों में भूदान शब्द प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्ववत अंकित करने के आदेश दिए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 की धारा 33 में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लगातार 10 वर्ष तक भूदान धारक के रूप में भूमि धारण करने वाला व्यक्ति, उस कालावधि का अवसार होने पर, म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अीन भूमि–स्वामी के अधिकार अर्जित कर लेगा और बोर्ड का उक्त भूमि में हक तथा हित समाप्त हो जायेगा । यद्यपि यह अधिनियम निरसित हो चुका है और इसके नियमों को संहिता में समाहित किया गया है । इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में भी कलेक्टर, श्योपुर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 14 / 2001–02 पटवारी रिर्पोट पर से प्रारंभ किया गया था जिसमें कलेक्टर ने दिनांक 7–2–08 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का विकय विधिवत होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया है । प्रॉड़–न्याय के सिद्धांत के अनुसार कलेक्टर द्वारा दुबारा स्वमेव निगरानी संस्थित करना विधिसम्मत नहीं है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 584 / 2011 (डॉ. लक्ष्मीनारायण गर्ग विरूद्ध म. प्र. शासन) आदि में पारित आदेश दिनांक 29.8.11 की प्रति प्रस्तुत की गई है । जिसमें माननीय उच्च न्याालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से याचिका का निराकरण करते हुए भूदान शब्द खसरे से हटाने के कलेक्टर, श्योपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर को निर्देश दिए हैं । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर, श्योपुर का आदेश विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता । वैसे भी एक बार भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने तथा विधिवत सक्षम अधिकारी से विकय की अनुमति प्राप्त होने के बाद नये केता के नाम के समक्ष भूमि को भूदान भूमि लिखे जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि कलेक्टर, श्योपुर द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने में विधिक त्रुटि की गई है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–6–13 विधिसम्मत न होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–10 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल,)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर